कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, एटा।

::विज्ञप्ति::

शासनादेश संख्या– **6261/Admin G-1/2019, Allahbad Dated 14.05.2019** के अनुसार कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी है। इसी कम में कुटुम्ब न्यायालय, एटा में परमर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वांछित अर्हता सेवा शर्ते एवं चयन प्रकिया इसप्रकार हैः–

1. व्यक्ति जिला एटा से सम्बन्धित हो यदि इसतरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति करने में कोई बाधा नहीं है।
2. शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जाएगा कि अर्हव्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्रीधारक है और पारिवारिक काउन्सलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव हो उन्हें वरीयता दी जाएगी।
3. विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4. आवेदन प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जाएगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जाएगी।
5. राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरांत उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
6. परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की सस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
7. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिये उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकेगा।
8. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और ये न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
9. आवेदनपत्र पर अभ्यर्थी का पासपोर्ट आकार का फोटो एवं आयु व शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रपत्रों की प्रतियों के साथ प्रेषित किया जाय।

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 07.06.2019 तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, एटा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 08.00 बजे से 14.00 बजे तक प्राप्त कराए जा सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से भेजे जा सकते हैं।

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, एटा.
23.05.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रकाशनार्थ दैनिक जागरण/अमर उजाला
2. प्रकाशनार्थ हिन्दुस्तान टाइम्स/टाइम्स ऑफ इण्डिया
3. प्रकाशनार्थ दैनिक राजपथ
4. जिला सूचना अधिकारी, एटा (बेबसाइट)
5. जिला सेवा योजन अधिकारी, एटा (बेबसाइट)
6. जिला सूचना अधिकारी, एटा को प्रति दैनिक जागरण या अमर उजाला, हिन्दुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इण्डिया में निःशुल्क प्रकाशनार्थ
7. सूचनापट जनपद न्यायालय, एटा
8. सूचनापट प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, एटा
9. सूचनापट जिला मजिस्ट्रेट, एटा
10. सूचनापट कलक्ट्रेट बार ऐसोसियेशन, एटा
11. सूचनापट तहसीलदार जलेसर, एटा
12. सूचनापट तहसीलदार अलीगंज, एटा
13. सूचनापट तहसीलदार, एटा

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, एटा.
23.05.2019